

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्व

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 2938-दो/2016 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 6-7-15 पारित  
द्वारा तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना - प्र0क0 1310 अ-74 / 2014-15

श्रीमती साविया खातून(वेवा) पत्नि मो.मोवीन कुरेशी  
न्जीरावाद तहसील रघुराजनगर जिला सतना  
विरुद्ध

—आवेदक

आयुक्त, नगरपालिक निगम, सतना

—अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री शंकर सिंह तौमर)  
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 06-4-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना के प्र0क0 1310 अ-74 /  
2014-15 में पारित आदेश दिनांक 6-7-15 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,  
1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आयुक्त, नगर निगम, सतना द्वारा तहसीलदार  
रघुराजनगर को पत्र दिनांक 4-6-15 लिखकर मांग की गई कि खेरमाई स्थित नाले  
को व्यवस्थित एवं सौन्दर्यकरण किया जाना है इसलिये नाले की वास्तविक चौड़ाई का  
परिमाण कराने हुये सीमांकन कराया जावे। तहसीलदार रघुराज नगर ने प0क0 1310  
अ-74 / 2014-15 पेंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों का दल  
गठित कर सीमांकन करने के आदेश दिये। तदानुक्रम में राजस्व निरीक्षकों/पटवारियों  
के दल ने नाले का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार  
रघुराजनगर ने पत्र दिनांक 15-6-15 प्रस्तुत कर आयुक्त नगर निगम को तीन राजस्व  
निरीक्षकों एवं 6 पटवारियों की टीम द्वारा किये गये सीमांकन एवं मौके की स्थिति की

जानकारी प्रस्तुत की तथा नाले पर किये गये अतिक्रमण एवं अतिक्रमणकर्ताओं की सूची भी प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा की गई इन्हीं कार्यवाहियों के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदिका ने पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूखंड क़य करके मकान बनाया है एवं अपने बच्चों के साथ निवास कर रही है आवेदिका के मकान का गलत सीमांकन किया गया है तथा सीमांकन कार्यवाही एकपक्षीय है इसलिये सीमांकन कार्यवाही निरस्त की जाय।

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि जिन अतिक्रमकों ने नाले की भूमि की ओर अपने मकानों को बढ़ाकर अतिक्रमण किया है एवं नाले के बहाव को अवरुद्ध किया है सीमांकन के दौरान अतिक्रमण प्रमाणित हुआ है सीमांकन सही किया गया है इसलिये तीन राजस्व निरीक्षकों एवं 6 पटवारियों की टीम द्वारा किया गया सीमांकन सही है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 1310 अ-74/ 2014-15 में आये तथ्यों से यह निर्विवाद है कि खेरमाई स्थित नाला नगर निगम सतना के अधीन है एवं नगर के बीच पानी के निकास का साधन है। शहर की स्वच्छता एवं नागरिकों के हित में इस नाले का व्यवस्थित एवं सौन्दर्यकरण किया जाना है जिससे नगर में होने वाली गन्दगी को रोका जाकर शहरवासियों को सुन्दर व स्वच्छ वातावरण दिया जा सके, इसी उद्देश्य से आयुक्त नगर निगम ने नाले की सीमांकन कराया है। जहाँ तक सीमांकन में नाले को पाटते हुये कई व्यक्तियों द्वारा निज मकान को आगे बढ़ाकर अतिक्रमण करने का तथ्य सीमांकन से उजागर हुआ है जिसमें से आवेदक भी एक अतिक्रमक है। तीन राजस्व निरीक्षकों एवं 6 पटवारियों की टीम द्वारा किये गये सीमांकन को अनुचित भी नहीं ठहराया जा सकता। नगर स्थित खेरमाई नाले को स्वच्छता प्रदान करने एवं सुन्दरता

M

प्रदान करने का कार्य आम नागरिकों के हित में है जिसके कारण अतिक्रामकों को किसी प्रकार का अनुतोष देना सार्वजनिक हित नहीं है। यदि निजी भूखंड अथवा निजी मकान-धारी व्यक्ति यह मानता है कि उसका निजी भूखंड अथवा मकान सीमांकन से प्रभावित हुआ है वह निजी मकान/भूखण्ड का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, रघुराजनगर जिला सतना द्वारा प्र०क० 1310 अ-74/ 2014-15 में पत्र दिनांक 6-7-15 में पर लिया गया निर्णय उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस०एस०अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल, प्र०

ग्वालियर